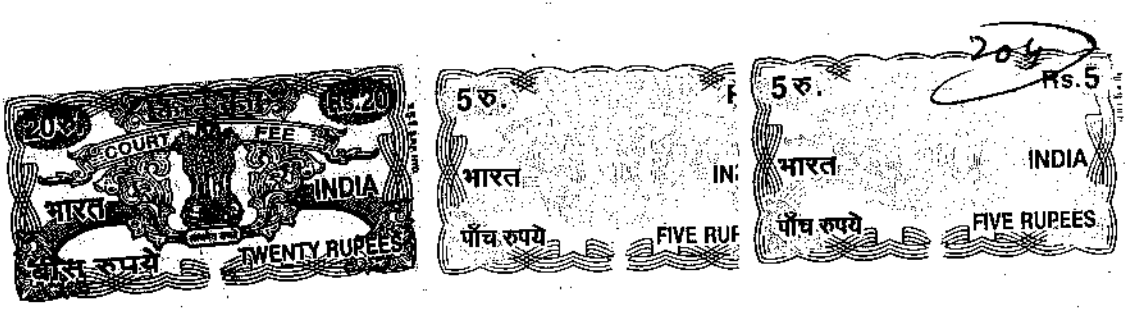

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप–जबलपुर

पुनरीक्षण कमांक निग॰ 3200/I /2015 जिला जबलपुर

जिठ्ठूलाल गौंड़ पिता श्री फागूलाल गौंड़
निवासी ग्राम एठाखेड़ा तहसील
तहसील व जिला जबलपुर ..... आवेदक

विरूद्ध

1– श्री रामकृष्ण साहू पिता स्व. श्री खूबचन्द्र साहू
निवासी त्रिपुरी चौक लाल बिल्डिंग गढ़ा
जबलपुर

2– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 158/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24–9–2014 के विरूद्ध.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यहकि आवेदक के भूमिस्वामित्व की ग्राम नारायणपुर नं.बं. 240 प.ह.नं. 37 रा. नि.मं. जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं. 129/3 रकबा 0.40 हैक्टर स्थित होकर राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है ।

2– यहकि, उक्त भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है । उक्त भमि का रकबा काफी कम है तथा उक्त भूमि आवेदक के निवास स्थान से काफी दूर स्थित है इस कारण वह भूमि की देख रेख नहीं कर पा रहा है । देखरेख के अभाव में भूमि पर उत्पादित फसल को जानवर व राहगीरों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है । इस कारण से आवेदक द्वारा भमि को गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री रामकृष्ण साहू पिता स्व.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3200-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 158/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24-9-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । कलेक्टर के आलोच्य आदेश दिनांक 24-9-2014 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 23-9-15 को अर्थात 11 माह से अधिक समय उपरांत पेश की गई है । विलंब क्षमा के संबंध में ना तो अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पेश किया गया है और ना ही शपथपत्र । 1996 आर0एन0 258 हीरालाल विरूद्ध बाथूलाल में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :- " धारा 5- विलम्ब की माफी के लिए आवेदन तथा शपथ पत्र फाइल नहीं किया गया - 5 दिन का विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता है ।" उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में यह अपील प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है प्रकरण में अन्य बिंदुओं पर विचार की आवश्यकता नहीं है । सदस्य	